1950 ई0 का उत्तर प्रदेश आकिस्मिकता निधि अधिनियम (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 1950)

UTTAR PRADESH CONTINGENCY FUND ACT, 1950
[U. P. No. XIX of 1950]

1950 ई0 का उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम¹ {उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 1950}

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 04, 1967 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, 1970 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 03, 1972 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 04, 1973 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 03, 1974 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 38, 1976

द्वारा संशोधित

्उत्तर प्रदेशीय विधान सभा ने दिनाँक 21 अप्रैल, 1950 ई0 तथा उत्तर प्रदेशीय विधान परिषद् ने दिनाँक 12 जनवरी 1973 ई0 को संशोधन सहित पारित किया, जिसे विधान परिषद् ने दिनाँक 26 अप्रैल, 1950 की बैठक में स्वीकृत किया।

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनाँक 01 मई, 1950 ई0 को स्वीकृति प्रदान की और उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनाँक 02 मई, 1950 ई0 को प्रकाशित हुआ।}

उत्तर प्रदेश राज्य के लिए आकस्मिकता निधि की स्थापना की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 (2) द्वारा राज्यों के विधान मण्डलों को अन्य बातों के अतिरिक्त यह भी अधिकार दिया गया है कि वे अपने—अपने राज्य के लिए विधि द्वारा आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सके:

प्रस्तावना

इसलिए निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम बनाया जाता है :--

1——(1) इस अधिनियम का नाम 1950 ई0 का उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम होगा।

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ

- (2) यह अधिनियम तुरन्त प्रचलित हो जाएगा।
- 2— इस अधिनियम में ''यह निधि'' या ''इस निधि'' से धारा 3 के अधीन स्थापित उ० प्र0 आकरिमकता निधि(Uttar Pradesh Contingency Fund) अभिप्रेत होगा।

व्याख्या

3— इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर प्रदेश राज्य में उक्त राज्य के लिए उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (Uttar Pradesh Contingency Fund) नामक एक निधि स्थापित करे।

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि की स्थापना

- 1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए दिनांक 23 मार्च, 1974, का सरकारी असाधारण गजट, देखिए।
- 2. धारा ४ की उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित किया गया तथा इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) की पश्चात् उपधारा (2), उ०प्र० अधिनियम सं० ४, 1967 की धारा २ (1) द्वारा बढ़ाई गई।
- 3. उ०प्र० अधिनियम सं० 38, 1976 की धारा 2 (2) द्वारा प्रतिस्थापित।

{1950 ई0 का उत्तर प्रदेश आकिस्मकता निधि अधिनियम}

धारा 4-6}

4—(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक होगा कि वह राज्य की संचित निधि (Consolidated Fund) में से चार करोड़ रूपया निकाल कर इस निधि में जमा कर दे।

राज्य की संहत निधि से धनराशियों का निकाला जाना और उन्हें आकस्मिकता निधि में जमा करना

- {(2) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1967 के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार {दो}¹ करोड़ रूपए की और धनराशि राज्य की संचित निधि में से निकालेगी और उसे इस निधि में जमा कर देगी।}¹
- { (3) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1970 के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार चार करोड़ रूपए की और धनराशि राज्य की संचित निधि में से निकालेगी और उसे इस निधि में जमा कर देगी।}²
- {(4) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार दस करोड़ रूपए की और धनराशि राज्य की संचित निधि में से निकालेगी और उसे इस निधि में जमा कर देगी।}³
- {(5) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1973 के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार दस करोड़ रूपए की और धनराशि राज्य की संचित निधि में से निकालेगी और उसे इस निधि में जमा कर देगी।}
- {(6) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1974 के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार दस करोड़ रूपए की और धनराशि राज्य की संचित निधि में से निकालेगी और उसे इस निधि में जमा कर देगी।}⁵
- { (7) राज्य सरकार 18 अगस्त 1976 को दस करोड़ रूपए की धनराशि और 4 अक्टूबर 1976 को दस करोड़ रूपए की और धनराशि राज्य की संचित निधि में से निकालेगी और उसे इस निधि में जमा कर देगी।}
- { (8) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1980 के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार चालीस करोड़ रूपए की और धनराशि राज्य की संचित निधि में से निकालेगी और उसे इस निधि में जमा कर देगी। }
- [(9) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1982 के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार पचास करोड़ रूपए की और धनराशि राज्य की संचित निधि में से निकालेगी और उसे इस निधि में जमा कर देगी।}
- {(10) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1985 के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार पचास करोड़ रूपए की और धनराशि राज्य की संचित निधि में से निकालेगी और उसे इस निधि में जमा कर देगी।}
- {(11) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1989के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार दो सौ करोड़ रूपए की और धनराशि राज्य की संचित निधि में से निकालेगी और उसे इस निधि में जमा कर देगी।}¹⁰

^{1.} उ.प्र. अधिनियम संख्या ४ 1967 द्वारा प्रतिस्थापित।

^{2.} उ.प्र. अधिनियम संख्या २१, १९७० द्वारा प्रतिस्थापित।

उ.प्र. अधिनियम संख्या ३, १९७२ द्वारा प्रतिस्थापित।

उ.प्र. अधिनियम संख्या ४, 1973 द्वारा प्रतिस्थापित।

^{5.} उ.प्र. अधिनियम संख्या ३, १९७४ द्वारा प्रतिस्थापित।

उ.प्र. अधिनियम संख्या 38, 1976 द्वारा प्रतिस्थापित।

उ.प्र. अधिनियम संख्या 18, 1980 द्वारा प्रतिस्थापित।

उ.प्र. अधिनियम संख्या 23, 1982 द्वारा प्रतिस्थापित।

उ.प्र. अधिनियम संख्या 16, 1985 द्वारा प्रतिस्थापित।

^{10.} उ.प्र. अधिनियम संख्या २४, १९८९ द्वारा प्रतिस्थापित।

- {(12) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1990 के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार दो सौ करोड़ रूपए की और धनराशि राज्य की संचित निधि में से निकालेगी और उसे इस निधि में जमा कर देगी।}
- {(13) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1995 के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार चार सौ करोड़ रूपए की और धनराशि राज्य की संचित निधि में से निकालेगी और उसे इस निधि में जमा कर देगी।}²

5— यह निधि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के अधिकार में दी जायेगी और वे उस समय तक जब तक कि राज्य के अतंर्कित व्यय विधिकृत विनियोग द्वारा राज्य के विधान मण्डल से प्राधिकृत न हो जाय, ऐसे व्ययों की पूर्ति के निमित्त समय—समय पर अग्रिम के रूप में रूपया देने के अतिरिक्त, इस निधि को और किसी काम में न लायेंगे और उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये राज्यपाल द्वारा अग्रिम के रूप में, जितना धन दिया गया होगा उतना ही धन ऐसी विधि के प्रवर्तन में आने के तुरन्त बाद इस निधि में जमा कर दिया गया समझा जायेगा और इस निधि में इस प्रकार संक्रामित धनराशि सब प्रयोजनों के लिये इस निधि का अंग समझी जायेगी।

प्रयोजन, जिनके लिए निधि का उपयोग किया जा सकता है

6— राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के सभी या किन्हीं प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

नियम बनाने की शक्ति

^{1.} उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, सन् 1990 द्वारा प्रतिस्थापित।

^{2.} उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, सन् 1995 द्वारा प्रतिस्थापित।

UTTAR PRADESH CONTINGENCY FUND ACT, 1950¹

[U. P. Act No. XIX of 1950]

Amended by

U. P. Act no. 4 of I967 U. P. Act no. 2I of I970 U. P. Act no. 3 of I972 U. P. Act no. 4 of I973 U. P. Act. no. 3 of 1974 U. P. Act no. 38 of 1976

Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative As April 21, 1950 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on April 26, 1950.

Received the assent of the Governor on May I, 1950 under Article 200 of this Constitution of India and was published in Gazette. Extra. dated, May 2, 1950.]

AN

ACT

to provide for the establishment of a Contingency Fund for the State of Uttar Pradesh

Whereas Article 267 (2) of the Constitution of India provides inter alia that the Legislature of a State may by law establish a Contingency Fund for the State;

It is hereby enacted as follows:

Short title and commencem

- (1) This Act maybe called the Uttar Pradesh Contingency Fund Act, 1950. 1.
 - (2) It shall come in to force at once.

ent Interpretatio

2. In this Act, "the Fund" means the Uttar Pradesh Contingency Fund established under section 3.

Establishment of the Uttar Pradesh Contingency Fund "Withdrawal of sums out of Consolidated fund of the State and credit there of the to

Contingency

Fund"

- 3. On the commencement of this Act, the State Government shall establish in and for the State of Uttar Pradesh a fund called the Uttar Pradesh Contingency Fund.
- (1) The State Government shall, on the commencement of this Act, withdraw a sum of four crores of rupees out of the Consolidated Fund of the State and place it to the credit of this Fund.
 - [(2) The State Government shall, on the commencement of the Uttar Pradesh Contingency Fund (Amendment) Act, 1967 withdraw a further sum of two crores of rupees out of the Consolidated Fund of the State and place it to the credit of this Fund.]²

For S. O. R. see Gaz. Extra, d. April 19, 1950.

Section 4 renumbered as sub-sec(I). thereof and after sub-section (I) a. so renumbered sub-section (2)added by S. 2 (r) of U. P. Act no. IV of 1967.

Substituted by section 2 (i,) of the U. P. Act No. 38,1976,

- [(3) The State Government shall, on the commencement of the Uttar Pradesh Contingency Fund (Amendment) Act 1970 withdraw a further sum of four crores of rupees out of the Consolidated Fund of the State and place it to the credit of this Fund.] ¹
- [(4) The State Government shall, on the commencement of the Uttar Pradesh Contingency Fund (Amendment) Act, 1972; withdraw a further sum of ten crores of rupees out of the Consolidated Fund of the State and place it to the credit of this Fund.] ²
- [(5) The State Government shall, on the commencement of the Uttar Pradesh Contingency Fund (Amendment) Act, 1973, withdraw a further sum of ten crores of rupees out of the Consolidated Fund of the State and place it to the credit of this Fund.] ³
- [(6) The State Government shall, on the commencement of the Uttar Pradesh Contingency Fund (Amendment) Act, 1974, withdraw a further sum of ten crores. of rupees out of the Consolidated Fund of the State and place it to the credit of the Fund.] ⁴
- [(7) The State Government shall withdraw, on August 18, 1976, a sum of ten crores of rupees, and on October4, 1976, withdraw a further sum of ten crores of rupees out of the Consolidated Fund of the State and place the same to the credit of the Fund.]5
- [(8) The State Government shall, on the commencement of the Uttar Pradesh Contingency Fund (Amendment) Act, 1980, withdraw a further sum of forty crores of rupees out of the Consolidated Fund of the State and place the same to the credit of the Fund.]⁶
- [(9) The State Government shall, on the commencement of the Uttar Pradesh Contingency Fund (Amendment) Act, 1982, withdraw a further sum of fifty crores of rupees out of the Consolidated Fund of the State and place the same to the credit of the Fund.]⁷
- [(10) The State Government shall, on the commencement of the Uttar Pradesh Contingency Fund (Amendment) Act, 1985, withdraw a further sum of fifty crores of rupees out of the Consolidated Fund of the State and place the same to the credit of the Fund.]⁸

- [(11) The State Government shall, on the commencement of the Uttar Pradesh Contingency Fund (Amendment) Act, 1899, withdraw a further sum of two hundred crores of rupees out of the Consolidated Fund of the State and place the same to the credit of the Fund.]¹
- [(12) The State Government shall, on the commencement of the Uttar Pradesh Contingency Fund (Amendment) Act, 1990, withdraw a further sum of two hundred crores of rupees out of the Consolidated Fund of the State and place the same to the credit of the Fund.]²
- [(13) The State Government shall, on the commencement of the Uttar Pradesh Contingency Fund (Amendment) Act, 1995, withdraw a further sum of two hundred crores of rupees out of the Consolidated Fund of the State and place the same to the credit of the Fund.]³

Purposes for which the Fund may be

The Fund shall be placed at the disposal of the Governor of Uttar which the Fund may be

The Fund shall be placed at the disposal of the Governor of Uttar which the purpose of making advances

^{1 .}inst. by up Act 21 of 1970

^{2.} inst. by up Act no. 3 of 1972

³ inst by U.P. Act no. 4 of 1973

⁴ inst by U.P. Act no. 3 of 1974

^{5.} inst by U.P. Act no. 38 of 1976

^{6 .} inst by U.P. Act no. 18of 1980

^{7.} inst by U.P. Act no. 23of 1982

^{8 .} inst by U.P. Act no. 16 of 1985

utilized

from time to time for meeting unforeseen expenditure of the State, P]pending authorization of such expenditure by the Legislature of the State under appropriations made by law and, immediately after the coming into operation of such law, and amount equal to the amount of amounts advanced by the Governor for the purposes aforesaid shall be deemed to have been placed to the credit of the Fund and the am9unt so transferred shall for all purposes be deemed to be a part of the Fund.

Power to 6. make rules

The State Government may, by notification, make rules to carry out all or any of the purposes of the Act.

1 Substi by U.P. Act No. 24 of 1989

^{2.}Substi by U.P. Act No. 13 of 1990

³ Substi by U.P. Act No. 13 of 1995